(2)

परिषद् के कार्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 2 नवम्बर, 1974 को 3-30 बजे अपरान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1974 की छठी बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1) श्री जगदीश शरण अग्रवाल		अध्यक्ष
2) श्री वी०एस०कटारा	आवास आयुक्त	सदस्य
3) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित		सदस्य
4) श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य
5) श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
6) श्री मुख्तार अहमद		सदस्य
7) श्री कल्यान दास जैन		सदस्य
8) श्री आर०आर०शाह	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
9) श्री महेश प्रसाद	विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
10) श्री अतहर हुसैन	आयुक्त एवं सचिव, स्वा०शा० एवं नि०वि०	सदस्य
11) श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी	मुख्य अभियन्ता, स्वा०शा०अभि०वि०	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

मद संख्या	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद् की दिनांक 29 अगस्त, 1974 को हुई वर्ष 1974 की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	VI/(1)/74	कार्यवृत्त के सम्बन्ध में वित्त सचिव के प्रतिनिधि श्री आर०के०भार्गव के पत्र संख्या ई-6-2887/दस-5/69/71 दिनांक 27 सितम्बर, 1974 जिसकी प्रतियाँ सदस्यों को दी गई, पर विचार विमर्श करने के पश्चात् कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया तथा मद संख्या 25 के कार्यवृत्त को छोड़कर इसकी पुष्टि की गई । मद संख्या-25 के कार्यवृत्त में निम्न प्रकार संशोधन किया गया:- " परिषद् ने योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रगति विवरण पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि प्रत्येक योजना के संबंध में भूमि अध्याप्ति हो जाने के बाद विकास तथा निर्माण कार्यों हेतु साधारणतः 3 वर्ष का अधिकतम समय निश्चित किया जाना चाहिये । 3 वर्ष के समय के भीतर प्रत्येक योजना पूर्णतः कार्यान्वित करने का लक्ष्य होना चाहिये व प्रत्येक योजना की समाप्ति के निर्धारित तिथि से छः माह पूर्व परिषद् के समक्ष उसमें हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जाये और यदि लक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब होने की आशा हो तो उसके कारण व कठिनाइयाँ भी बताई जायें ताकि परिषद् ऐसी कठिनाइयों को यथासम्भव दूर करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने पर विचार कर सके जिससे लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता मिले । मद संख्या: 5 तथा 11 के कार्यवृत्त पर वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निम्न निर्णय लिया गया:-

क्र०पृ०30

1	2	3	4
			पद संख्या-5 ========= कार्यवृत्त अपने स्थान पर ठीक है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । वित्त सचिव के प्रतिनिधि के सुझाव के अनुसार मण्डलीय लेखाधिकारी के लिये वेतनक्रम पर पुनः विचार कर लिया जाये और परिषद् के समक्ष एक टिप्पणी प्रस्तुत की जाये । पद संख्या: 11 ========== कार्यवृत्त अपने स्थान पर ठीक है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।
2)	परिषद् की वर्ष 1974 की पाँचवी बैठक दिनांक 29 अगस्त, 1974 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	VI/(2)/74	परिषद् ने 29 अगस्त, 1974 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
3)	परिषद् के चपरासी स्वर्गीय श्री जगदम्बा प्रसाद के अन्तिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता ।	VI/(3)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद, चपरासी के परिवार को उनके अन्तिम संस्कार हेतु 100 रुपये (सौ रुपये केवल) का कंटिजेन्सी से देने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।
4)	परिषद् द्वारा अध्यक्ष अथवा आवास आयुक्त को योजना का नाम परिवर्तित करने के लिये अधिकृत किया जाना ।	VI/(4)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष/आवास आयुक्त को अधिकृत किया कि वे किसी पूरी की गई योजना के नाम को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते है किन्तु ऐसे मामलों को परिषद् के समक्ष भी सूचनार्थ रखा जाये ।
5)	लखनऊ की तालकटोरा योजना में श्री अरविन्द बाल केन्द्र के लिये भूमि का आवंटन ।	VI/(5)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् की तालकटोरा योजना में श्री अरविन्द सोसाइटी को लगभग 1-02 एकड़ भूमि बिना प्रीमियम लिये हुये, केवल वार्षिक किराये के आधार पर, आवंटन करने के लिये इस शर्त के साथ आवास आयुक्त को अधिकृत किया कि वे आवंटन करने के पूर्व श्री अरविन्द बाल केन्द्र की आर्थिक क्षमता, लीज की अवधि, भूमि के उपयोग आदि के सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर लें और इकरार नामा में यह शर्त भी लगा दी जाये कि यदि अरविन्द सोसाइटी भूमि का उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये जमीन ली जा रही है प्रयोग करने में असमर्थ रहेगी, या कभी सोसायटी (wind up.) हो जायेगी या परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करेगी तो परिषद् भूमि को कभी भी बिना किसी मुआवजे के वापस ले सकेगी ।

कृ०पृ०उ०

1	2	3	4
6)	शाहपुर भूमि विकास योजना, संख्या-7, गोरखपुर के अन्तर्गत सशर्त अर्जन से मुक्त किये गये भवनों की भूस्वामियों को विकास व्यय की धनराशि से छूट देने पर विचार ।	VI/(6)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शाहपुर भूमि विकास योजना संख्या-7, गोरखपुर के अन्तर्गत सशर्त अर्जन से मुक्त किये गये भूस्वामियों के पक्ष में अंकित कारणों के आधार पर विकास व्यय की धनराशि से छूट दी जाये तथा संबंधित मकानों को ले-आउट में भली प्रकार एडजस्ट कर दिया जाये ।
7)	बसौली गाजीपुर योजना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग को प्रसूति गृह तथा नगरीय परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र के निर्माण हेतु 1-5 एकड़ भूमि का हस्तान्तरण ।	VI/(7)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चिकित्सा विभाग को प्रसूति गृह तथा नगरीय परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र के निर्माण हेतु बसौली गाजीपुर योजना में लगभग 1-5 एकड़ भूमि टिप्पणी में दी गई शर्तों के अधीन आवंटित किया जा सकता है ।
8)	आगरा की कमलानगर आवास योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-डी-220 को श्री किशोरी लाल शर्मा के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती सत्यवती शर्मा के नाम हस्तान्तरण किया जाना ।	VI/(8)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कमलानगर आवास योजना, आगरा, के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या डी-220 जो श्री किशोरी लाल शर्मा को आवंटित था, को उनकी पत्नी के नाम हस्तान्तरित कर दिया जाये ।
9)	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 41 के अन्तर्गत देहरादून की नेहरू नगर योजना संख्या-2, की सड़कों एवं पार्कों को स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमित करने के सम्बन्ध में ।	VI/(9)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि देहरादून की नेहरू नगर योजना संख्या-2, जिसमें कार्य पूर्ण हो चुके हो, सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जाय ।
10)	रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 ।	VI/(10)/74	परिषद् ने सर्वसम्मति से रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, को परिषद् अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं आगे चलाने की अनुमति प्रदान की ।
11)	भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत शासन से वर्ष 1974-75 में 200 लाख रुपये का ऋण ।	VI/(11)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में शासन से 200 लाख रुपये के ऋण लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।
12)	सेवानिवृत्त शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति ।		

(6)

1	2	3	4
13)	परिषद के किसी अधिकारी/कर्मचारी की परिषद में सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी को परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्ड/भवन के आवंटन में विशेष सुविधा दिये जाने के संबंध में।	VI/(13)/74	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद के किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में सेवारत रहते हुये असामायिक मृत्यु हो जाने पर उसके नजदीकी आश्रितों यथा पत्नी और बच्चों को परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत इच्छित नगर में उस श्रेणी का भवन, जिसके लिये वह अपने पद के अनुसार पात्र रहा हो आधे मूल्य पर इस शर्त के अधीन कि ऐसे आश्रितों का अपना कोई मकान न हो, आवंटन किया जा सकता है।
14)	परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि में रहने वाले विस्थापितों के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक समय में रहने वाले किरायेदारों को आवासिक सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	VI/(14)/74	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद की योजनाओं में उन किरायेदारों का जो परिषद के योजना स्थल से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे है, परिषद की योजना में निर्धारित बयाने की धनराशि जमा करने पर पंजीकरण किया जा सकता है और उनकी आय के अनुसार उनको भवन के आवंटन में विस्थापितों के समान प्राथमिकता दी जा सकती है।
15)	सहारनपुर की पठानपुरा योजना नं० 1 के अन्तर्गत 14 भवनों की तोड़ फोड़ से हुई हानि के संबंध में।	VI/(15)/74	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि सहारनपुर की पठानपुरा योजना संख्या-1 के अन्तर्गत 14 भवनों की तोड़ फोड़ से हुई हानि की धनराशि रुपया 7,500 का भुगतान ठेकेदार को कर दिया जाय।
16)	सिविल लाइन्स भूमि विकास योजना फैजाबाद।	VI/(16)/74	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से सिविल लाइन्स भूमि विकास योजना, फैजाबाद को परिषद अधिनियम की धारा 31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति दी।
17)	रामराज रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बाजपुर (नैनीताल)।	VI/(17)/74	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से रामराज रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बाजपुर (नैनीताल) की योजना को परिषद अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
18)	अलीगढ़ में आगरा तथा मथुरा रोड के बीच गृहस्थान योजना संख्या-9, अलीगढ़।	VI/(18)/74	परिषद ने अलीगढ़ में आगरा तथा मथुरा रोड के बीच गृहस्थान योजना संख्या-9, अलीगढ़ के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि योजना को आगे चलाया जाये और इसके विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई नियोजन एवं विकास समिति द्वारा शीघ्र की जाये।

ह०प्र०उ०

1	2	3	4
19)	लीज पर दी जाने वाली भूमि के किराये का पुनः निर्धारण।	VI/(19)/74	परिषद् द्वारा लीज पर दी जाने वाली भूमि का वार्षिक किराया परिषद् ने सर्वसम्मति से पूर्व निर्धारित दर को संशोधित करते हुये प्रीमियम के 0-125 प्रतिशत की दर से, निर्धारित किया।
20)	लाजपतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुरादाबाद में स्थित जनकल्याण गृह निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।	VI/(20)/74	परिषद् ने लाजपतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुरादाबाद में स्थित जन-कल्याण गृह निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि समिति की केवल 25-80 एकड़ भूमि जिस पर समिति का पूर्ण रूप से स्वामित्व है और किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है, को अर्जन से मुक्त किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने से पूर्व वैधानिक स्थिति का अच्छी तरह परीक्षण करा लिया जाये। अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये।
21)	हापुड़ के लिये प्रस्तावित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्णय।	VI/(21)/74	परिषद् ने हापुड़ के लिये प्रस्तावित योजनाओं के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा गठित समिति की निरीक्षण रिपोर्ट व समिति की दिनांक 30-9-74 की बैठक में लिये गये निर्णय को अवलोकित किया और समिति द्वारा दिये गये सुझावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
22)	परिषद् की योजनाओं में परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के हेतु आवास की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	VI /(22)/74	परिषद् ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया कि परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवास सुविधा की व्यवस्था की जाय और निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक नीति निर्धारित करके परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।
23)	चन्द्रनगर सहकारी गृह निर्माण समिति मेरठ की प्रार्थना पर विचार।	VI/(23)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चन्द्र नगर सहकारी गृह-निर्माण समिति मेरठ की प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।
24)	सिविल लाइन्स भूमि विकास योजना संख्या-1, बदायूं।	VI/(24)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से सिविल लाइन्स भूमि विकास योजना संख्या-1, बदायूं को परिषद् अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
25)	परिषद् के कार्यकलापों की प्रगति विवरण।	VI /(25)/74	परिषद् ने परिषद् के कार्यकलापों की प्रगति विवरण का अवलोकन करते हुये इस मद पर विचार स्थगित किया और यह निश्चय किया कि इस विषय को अगली बैठक में पुनः रखा जाय।

ह०पृ०उ०